मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-परिपत्र संख्या-12/2015 दिनांकः लखनऊःफरवरी 16 ,2015

सेवा में,

1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

आप सभी अवगत हैं कि दं0प्र0सं0(संशोधन) अधिनियम 2005 के द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा-82 में संशोधन किया गया है जो निम्नवत् हैः-

"मूल अधिनियम की धारा 82 में, उपधारा(3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराऐं अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात-

(4)जहॉ उपधारा(1) के अधीन प्रकाशित की गयी उद्घोषणा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 302, धारा 304, धारा 364, धारा 367, धारा 382, धारा 392, धारा 393, धारा 394, धारा 395, धारा 396, धारा 397, धारा 398, धारा 399, धारा 400, धारा 402, धारा 436, धारा 449, धारा 459, या धारा 460 के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय, तब ऐसी जॉच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है और उस प्रभाव की घोषणा कर सकता है ।

(5)उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा (4) के अधीन की गयी घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं।"

12. Amendment of section 82.-In section 82 of the principal Act, after subsection (3), the following sub-sections shall be inserted, namely:-

"(4) Where a proclamation published under sub-section (1) is in respect of a person accused of an offence punishable under section 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459 or 460 of the Indian Penal Code (45 of 1860), and such person fails to appear at the specified place and time required by the proclamation, the Court may, after making such inquiry as it thinks fit, pronounce him a proclaimed offender and make a declaration to that effect. (5) The provisions of sub-sections (2) and (3) shall apply to a declaration made by the Court under sub-section (4) as they apply to the proclamation published under sub-section (1).".

2- दं0प्र0सं0(संशोधन) अधिनियम 2005 की धारा-44(बी) के द्वारा भा0दं0सं0 में धारा 174(ए) को सम्मिलित किया गया है जो निम्नवत् हैः-

"174-क. 1974 के अधिनियम संख्या-2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी-जो कोई दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का 2) की धारा 82 की उपधारा

(1) के अधीन प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा और जहाँ उस धारा की उपधारा (4) के अधीन कोई ऐसी घोषणा की गयी है जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित किया गया है, वहाँ वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने का भी दायी होगा।''

[174A. Non- appearance in response to a proclamation under section 82 of Act 2 of 1974 .- Whoever fails to appear at the specified place and the specified time as required by a proclamation published under sub- section (1) of section 82 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both, and where a declaration has been made under sub- section (4) of that section pronouncing him as a proclaimed offender, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.]

3- मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपरोक्त प्राविधानों के सम्बन्ध में परिपत्र संख्या-डीजी-24/2009 दिनॉक 29-4-2009 आप सभी को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया गया था कि आप दं0प्र0सं0(संशोधन) अधिनियम 2005 के द्वारा किये गये संशोधित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे परन्तु मेरे संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि भा0द0सं0 की धारा 174(ए) के अन्तर्गत आप सभी के द्वारा न तो कार्यवाही ही करायी जा रही है और न ही इसकी समीक्षा ही की जाती है। धारा 83 दं0प्र0सं0 के सम्बन्ध में भी विवेचकों द्वारा कार्यवाही कराने का प्रयास नहीं किया जाता है जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। यदि 82 व 83 सी0आर0पी0सी0 एवं 174(ए) की कार्यवाही समय से हो जाय तथा आरोप पत्र समय से न्यायालय प्रेषित किये जायें तो अपराध नियंत्रण में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी ।

4- खेद के साथ इंगित करना पड़ रहा है कि गम्भीर अपराध करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही करते समय अकसर उदार दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है और अपराध नियंत्रण के मूल भूत सिद्धान्तों और नियमों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे जनमानस में कानून के प्रति विश्वास में कमी परिलक्षित हो रही है । अपराधियों को दण्डित कराया जाना पुलिस विभाग का अत्यन्त महत्वपूर्ण दायित्व है ।

5- अतः आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 लखनऊ से निर्गत परिपत्रों एवं दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अपराधियों के विरूद्ध विधिक प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

16.2.15

(अरविन्द कुमार जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक(अपराध), उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में अनुश्रवण सुनिश्चित करायें ।